
 <p>भा.कृ.अनु.प. ICAR</p>	<p><b>भा.कृ.अनु.प. - खरपतवार अनुसंधान निदेशालय</b>  <b>ICAR - Directorate of Weed Research</b>  महाराजपुर, अधारताल, जबलपुर – 482004, (म. प्र.), भारत  Maharajpur, Adhartal, Jabalpur 482 004 (M.P.), INDIA</p>	 <p>खरपतवार अनुसंधान निदेशालय, जबलपुर-४ (म.प्र.) D W R</p>
<p>EPABX : +91-761-2353101, 2353934  Fax : 0761 – 2353129</p>	<p>Gram : WEEDSCIENCE  Email : dirdwsr@icar.org.in</p>	
<p>F.No. : : 13-160/works/2016-17</p>	<p>Dt. : 19/01/2018</p>	

प्रति,

विषय:- निदेशालय के मुख्य भवन के लैब क्र. 19 (कीट विज्ञान) एवं क्र. 26 (मृदा विज्ञान) के फर्श की आवश्यकता मरम्मत कर विट्रिफाईड टाइल्स लगाने हेतु।

महोदय,

निदेशक, ख.अनु.निदेशालय की ओर से निदेशालय के मुख्य भवन के लैब क्र. 19 (कीट विज्ञान) एवं क्र. 26 (मृदा विज्ञान) के फर्श की आवश्यक मरम्मत हेतु सील बंद निविदा/ऑफर पोस्ट के द्वारा आमंत्रित है।

कार्य का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	कार्य का विवरण	लगभग मात्रा
1	आपूर्ति एवं लगाने का संपूर्ण कार्यमय मजदूरी एवं सामग्री सहित जिसमें मानक कंपनी मेक जैसे कजारिया/जॉनसन आदि (Tiles size – 2'x2') 8mm thickness, बेस्ट क्वालिटी Vitrified Floor Tiles 6" स्कार्टिंग व कम्प्लीट फिटिंग के साथ मय मजदूरी के टाइल्स एडहेसिव से लगाना होगा ताकि फ्लोर हार्डट ज्यादा न बढ़े तथा प्रोपर स्लोप भी देना आवश्यक है। टाइल्स के ज्वाइंट की सतह एक दम समतल होनी चाहिए एवं ज्वाइंट में एयर गेप नहीं होना चाहिये। (Suppling and fixing work complete in all respect including labour & material)	Approx vitrified  Tiles Area-880sqft  Length of skarting- 119ft
2	कार्य के दौरान लगने वाली अन्य सामग्री	आवश्यकतानुसार

नोट :-

1. ठेकेदार कोटेशन देने के पूर्व स्थल निरीक्षण अवश्य लें।
2. उपयोग में आने वाला मटेरियल उच्च गुणवत्ता का व स्टेण्डर्ड कंपनी का होना चाहिये तथा मटेरियल लगाने के पूर्व सेम्पल को निर्माण समिति से अनुमोदित कराकर कार्य में लगाया जाना अनिवार्य होगा।

3. ठेकेदार कार्य आदेश में दी गई कार्य की मात्रा के अनुसार कार्य करें तथा मात्रा लिखित मात्रा अधिक होने की संभावना होने पर पूर्व में सक्षम अधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त कर ही आगे का कार्य करें।
4. ठेकेदार कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित अनुभाग की अनुमति प्राप्त कर कार्य प्रारंभ करें। कार्य के दौरान भी निर्माण समिति को कार्य की प्रगति का अवलोकन कराया जाना आवश्यक है। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्य का रेट प्रति वर्गफुट, रनिंग फुट में देने का श्रम करें, लमसम (एकमुश्त) रेट स्वीकार नहीं होगा।

नियम एवं शर्तें :-

1. दरों का उल्लेख वस्तु को इस निदेशालय परिसर, महाराजपुर, जबलपुर पहुंचाने तक की होना चाहिये।
2. सेल्स टेक्स अथवा अन्य टेक्स का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिये यदि टेक्स का उल्लेख नहीं रहता है, तो यह माना जावेगा कि दर्शायी गई दरों में टेक्स सम्मिलित है। इस निदेशालय से कोई "सी" अथवा "डी" फॉर्म जारी नहीं किया जाता है।
3. बिलों से टी.डी.एस. यदि लागू हो तो कटौती निम्नानुसार की जावेगी।
4. दर्शायी गई दरों की वैधता निविदा खोलने की तिथि से कम से कम 90 दिनों तक की होनी चाहिये, दरों में पैकिंग forwarding एवं ट्रांसपोर्टेशन चार्ज स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिये।
5. सम्पूर्ण रूप से पूर्ण सीलबंद निविदा/कोटेशन निदेशालय में रखी निविदा पेटी या पोस्ट के द्वारा दिनांक 08/02/2018 दोपहर 2.30 बजे तक स्वीकार की जावेगी। फर्म इस पर ध्यान दें, कि किसी भी प्रकार अस्पष्ट, मिटी हुई, सफेदी लगी लिखाई नहीं होनी चाहिये, यदि कोई कटिंग अन्य ओवर राईटिंग होती है, तो उसे सत्यापित (उस स्थान पर हस्ताक्षर होना चाहिये) अन्यथा ऐसी दशा में कोटेशन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
6. सभी मामलों में निदेशक, ख.अनु. निदेशालय का निर्णय अंतिम होगा तथा निविदाकारों को मान्य होगा।
7. बिल का भुगतान 30 दिनों में किया जावेगा। चूंकि भुगतान ई-पेमेंट के द्वारा किया जाता है, इसलिए फर्म का बैंक खाता नं. पता एवं आई.एफ.एस.सी. कोड बिल में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाना चाहिये।
8. निविदा/कोटेशन में रू. 3000/- की राशि बतौर धरोहर राशि (ई.एम.डी.) के रूप में एकाउंट पेई डिमांड ड्राफ्ट/पे. आर्डर ICAR UNIT DWR, JABALPUR के पक्ष में देय हो आवश्यक रूप से निविदा/कोटेशन के साथ संलग्न होना चाहिये। अन्यथा निविदा पर विचार न करते हुये रद्द कर दिया जावेगा। निविदा प्रपत्र फीस (टेण्डर फीस) एवं धरोहर राशि (ईएम.डी.) की राशि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए छूट है। निविदा के साथ वांछित प्रमाण पत्र के संलग्न करना अनिवार्य है।
9. निदेशक, ख.अनु. निदेशालय के पास यह अधिकार सुरक्षित है, कि कोई भी निविदा/कोटेशन को स्वीकार अथवा अस्वीकार बिना किसी कारण के किया जा सकेगा।
10. किसी भी प्रकार के पत्राचार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पद नाम से ही किया जावे न कि उसके नाम से।
11. किसी भी प्रकार का विवाद जबलपुर न्यायालय (jurisdiction) के अधीन रहेगा।

प्रभारी क्य एवं भण्डार अनुभाग